

1) पार्टी संगठन में आमूल-चूल, आधारभूत परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाएं:

सभी स्तरों पर इसके नेतृत्व में नए चेहरों और युवा शक्ति को शामिल करें। पार्टी में व सरकार में पद पर नियुक्तियों और राजनैतिक सशक्तिकरण के माध्यम से लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे कार्यकर्ताओं के प्रयासों और बलिदानों का सम्मान करें।


2) संगठन-कार्य का विकेंद्रीकरण करें:

प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षों को वास्तविक अधिकार देकर राज्यों में पार्टी को सशक्त बनाना और जमीनी स्तर पर काँग्रेस संगठन को सशक्त बनाना । भाजपा के सत्ता के केंद्रीकरण से अलग एक विश्वसनीय राजनैतिक विकल्प पेश करें। राज्यों का मजबूत प्रांतीय नेतृत्व तैयार करें, जैसे की पिछले दशकों में रहा है; जिससे कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनैतिक अपील को मजबूत किया जा सके।

काँग्रेस के मुख्यालय की भूमिका को सभी गतिविधियों व कार्य-कलापों का केन्द्र बनायें:

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सप्ताह में दो बार कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और एआईसीसी के विभिन्न विभागों और फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों के साथ हर तिमाही में बैठकें करेंगे। संगठन की दृष्टि से देश में पार्टी को पांच क्षेत्र इकाइयों में बॉट कर 5 उपाध्यक्ष इसके लिए अधिकृत कियें जायेगें। संगठन के राष्ट्रीय महासचिवों को विषयगत ज़िम्मेदारियाँ दी जायेगी। कांग्रेस कार्यसमिति हर माह बैठक करेगी। अखिल भारतीय कॉग्रेस कमेटी का पूर्ण अधिवेशन 5 साल में होगा। पार्टी अध्यक्ष एवं अन्य सभी पदाधिकारी के लिये पांच वर्ष के केवल दो सीमित कार्यकाल ही रहेंगे।

- 4) पार्टी के मूलभूत सिद्धान्तों को पुन: दोहराएं : INC का अर्थ "समावेशी भारत" है, यह समावेशी भारत देश की विविधता का सम्मान करता है; देश में अनेकरूपता से महिमामंडित व गौरवान्वित होता है; धर्मनिरपेक्षता का अभिनंदन व समर्थन करता है; नागरिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है; वंचित, शोषित व गरीब के लिए एक आश्रय प्रदान करता है; सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करता है; समान विकास का समर्थन करता है। एक ठोस सशक्त राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और हमारी नेहरूवादी विरासत को ध्यान में रखते हुए आश्वस्त विदेश नीति इस समावेशी भारत में निहित हैं।
- 5) पार्टी में कार्यकर्ता की व्यापक भागीदारी: संसदीय बोर्ड और सलाहकार तंत्र को राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्जीवित और सुदृढ़ करना। यह धारणा है कि संगठन में निर्णय प्रक्रिया कुछ सीमित व्यक्तियों के बीच केंद्रित है। इस अवधारणा को दूर किया जाये और 25-सदस्यीय कांग्रेसी कार्यसमिति में पार्टी संविधान के अनुसार 12 सीटों के लिए चुनाव हों। सरकार को प्रशासनिक और नियमित नीतिगत विषयों पर चर्चाओं में, आमजन के बीच चुनौती देने के लिए तथा दैनिक व सामयिक विषयों पर पार्टी स्टैंड को स्पष्ट और निश्चित करने के लिए "छाया कैबिनेट" का गठन हो । 2022 की उदयपुर घोषणा को लागू करें- "एक व्यक्ति एक पद", पदों के लिए अवधि सीमा (सामान्यतः 2 कार्यकाल), हर स्तर के चुनावों में 50 प्रतिशत 50 वर्ष से कम आयु वालों के लिए, और महिलाओं, युवाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति / पिछडी जाति और अल्पसंख्यकों के लिए संगठन व चुनावों में प्रतिनिधित्व में वृद्धि हो।



6) चुनाव प्रबंधन को फिर से मज़बूत करें:

चुनाव से कम से कम 3 महीने पहले उम्मीदवारों के चयन के लिये बैठकें होनी चाहिये और नामांकन प्रक्रिया पूरी होनी चाहिये।। इस विषय पर एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे ।हमारे चुनाव प्रबंधन में सुधार के लिए नयी प्रबंधन तकनीकें व सिस्टम टूल्स प्रौद्योगिकी और डेटा का उचित उपयोग हो व इससे उपयुक्त सहायता ली जाये। लगातार दो चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों को एक ही सीट के लिए बार बार पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार नामांकित नहीं किया जाएगा। लगातार चुनाव जीत रहे निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों के लिए कोई अवधि या सीमा नहीं रहेगी।

7) युवाओं पर अधिक व विशेष फोकस:

बेरोजगार युवाओं, युवा उन्मुख व्यवसायिक कार्यस्थलों और प्रवासी कामगारों के केन्द्रों पर उनको पार्टी की राजनीतिक मुख्यधारा से जोडने व उनमें पार्टी की पैठ बनाने के लिये बड़ी योजना पर कार्यान्वयन करेंगे। जैसे सेवा दल, युवा काँग्रेस, भा० रा० छात्र संगठन व काँग्रेस के अन्य फ्रन्टल संगठनों के कार्य-कलापों में व संगठनात्मक ढाँचे में आवश्यक परिवर्तन लाकर उनकी कार्य-शैली में सुधार लायेंगे और उन्हें और संगठित व मजबूत करेंगे और उनके माध्यम से, भारतीयों को, विशेष तौर पर युवा भारतीयों को समझाएंगे कि हम उनकी आकांक्षाओं व अपेक्षाओं को समझते हैं और उन्हें संगठन व सरकार में अधिक हिस्सेदारी देने के लिए भरोसा देते हैं।

8) महिलाओं के लिए बड़ी भूमिका: काँग्रेस महिलाओं के नेतृत्व योग्यता को प्रोत्साहित करेगी, महिलाओं के लिए, ("लड़की हूं, बालिका शक्ति हूं" सिद्धांत)। पीसीसी, पार्टी संगठन और राज्यों व राष्ट्रीय चुनावों में अधिकाधिक भागीदारी के लिये विशेष रूप से प्रयासरत रहेगी। । महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए पार्टी प्रयत्नशील रहेगी। अखिल भारतीय महिला काँग्रेस की भूमिका और क्षमता को मजबूत किया जाएगा।

9) उद्योग और पेशेवरों के लिए आउटरीच:

निजी क्षेत्र में धन सृजन, पूँजी-निर्माण और रोजगार-सृजन को ना केवल प्रोत्साहित करेंगे बल्कि जीवन्त भी करेंगे । इस प्रकार की गई राजस्व-वृद्धि को गरीबों और वंचित वर्ग के लोगों में वितरित कर उनके आर्थिक विकास पर जोर देंगे ।मध्य, छोटे व कुटीर उद्योग क्षेत्र को पुनर्जीवित कर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में प्रासंगिक व प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेगें। वाणिज्यिक व व्यवसायिक पेशेवर व्यक्तियों तक पहुंच को मजबूत करके पार्टी के साथ उनके काँग्रेस से ऐतिहासिक संबंधों में रचनात्मक जुड़ाव की पुन: संरचना करेंगे।

10) राजनीति को सामाजिक कार्य समझ कर अनुरूप आचरण के मार्ग पर लौटें:

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को केवल चुनाव लड़ने के साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पार्टी वंचित, शोषित व गरीब, जो खुद की मदद नहीं कर सकते, उनके हित के लिए, उनके सामाजिक उद्धार व विकास को राजनीति के चिन्तन-मनन, आचार-विचार व आचरण को मुख्य लक्ष्य मान कर कार्य करने की पुरानी परम्परा पर लौटेगी।



